न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 4/2016

प्रार्थी

सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. उपप्रबन्धक बी.पी.सी.एल जोधपुर।
2. सेल्स ऑफिसर श्री विशाल गंजू बी.पी.सी.एल आबूरोड़/जोधपुर।
3. पुखराज पंवार पुत्र मकनारामजी जाति विश्नोई निवासी पलासनी जोधपुर हाल बी.पी.सी.एल मावल पम्प।
4. श्रीमती स्नेह लता जैन पत्नि श्री अशोक कुमार जैन निवासी हिरणमगरी सेक्टर 4 मानवाखेड़ा उदयपुर।
5. श्री मुकेश कुमार वाहन चालक।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. श्री दलपतराज परमार अधिवक्ता अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय

दिनांक 20.08.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.9.2015 को उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत, द्वारा जिला रसद अधिकारी, सिरोही को दूरभाष पर सूचना दी कि बी.पी. मावल पेट्रोल पम्प पर एक टैंकर खड़ा है जिनमें केरोसीन होने का अंदेशा है इस पर जिला रसद अधिकारी सिरोही मौके पर पहुंचे। मौके पर पेट्रोल पम्प बी.पी. मावल जो कि कम्पनी ऑपरेटेड़ पम्प है पर पुलिस विभाग के कर्मचारी एव बी.पी.सी.एल. के सेल्स ऑफिसर अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित मिले एवं दो टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7014 तथा आर.जे. 27 जी.बी. 7012 है जिसमें से टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7012 के कम्पार्टमेन्ट को चैक करने पर पांचों कम्पार्टमेन्ट खाली पाये गये एवं टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7014 में कुल पांच कम्पार्टमेन्ट थे कम्पार्टमेन्ट के ढक्कन के ऊपर से पहले ही खुले हुए थे जिन्हें उपस्थित गवाहों के सामने खोला गया एवं नापा गया। पांचों कम्पार्टमेन्ट पूरी तरह भरे हुए थे। पांचों कम्पार्टमेन्ट क्रमशः (1) 5 के.एल. (2) 5 के.एल. (3) 4 के.एल. (4) 5 के.एल. (5) 5 केएल. कुल 24 के.एल. (24000 [illegible]) जिसमें पांचों कम्पार्टमेन्ट में से कम्पार्टमेन्ट नं. 1,2,3 में से भरे गये तरल [illegible] को [illegible] के गिलास में भर कर देखा गया तो उसका रंग हरा ला[illegible]न पाया गया। [illegible]मेन्ट नं. 4 व 5 में भरा गया द्रव्य गहरा नीला एवं हरा पाया गया [illegible] डीजल की [illegible]बू प्रतीत हो रही थी। प्रथम दृष्टया अवलोकन [illegible] पर उपरोक्त तरल द्रव्य [illegible] व केरोसीन का अपमिश्रण होने पर टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7014 को कब्जे सरकार लेकर पुलिस थाना आबूरोड़ सदर को सुपूर्द कर दिया एवं नमूना डीजल एफ.एस.एल हेतु राज्य फोरेन्सिक लेबोरेट्री राजस्थान जयपुर को प्रेषित की गई। अप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:50:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पूछने पर मिलावट करने के सम्बन्ध में अप्रार्थी कोई संतोषजनक उत्तर नही देने पर मिलावटी डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई । डीजल का अंतरिम निस्तारण सुपूर्दगी/विक्रय द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण करने के आदेश दिये जाकर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष मे जमा कराने के आदेश दिये गये जिसकी पालना मे जिला रसद अधिकारी, सिरोही द्वारा मिलावटी डीजल 9000 लीटर को विक्रय कर विक्रय से प्राप्त राशि रुपये 4,48,425/– जरिये चालान संख्या 19243525 दिनांक 18.10.2017 के राजकोष मे बतौर अमानत जमा कराये गये एवं बिना मिलावटी डीजल 15000 लीटर का निस्तारण आदेश दिनांक 27.02.2017 के मावल पेट्रोल पम्प को सुपूर्द करने के आदेश पूर्व में ही दिए जाकर निस्तारण कर दिया गया है।

सरकार की ओर से श्री सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7012 के कम्पार्टमेन्ट को चैक करने पर पांचों कम्पार्टमेन्ट खाली पाये गये एवं टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7014 में कुल पांच कम्पार्टमेन्ट थे कम्पार्टमेन्ट के ढक्कन के उपर से पहले ही खुले हुए थे जिन्हें उपस्थित गवाहों के सामने खोला गया एवं नापा गया। पांचों कम्पार्टमेन्ट पूरी तरह भरे हुए थे। पांचों कम्पार्टमेन्ट क्रमशः (1) 5 के.एल. (2) 5 के.एल. (3) 4 के.एल. (4) 5 के.एल. (5) 5 के.एल. कुल 24 के.एल. (24000) के थे। जिसमें पांचों कम्पार्टमेन्ट में से कम्पार्टमेन्ट नं. 1,2,3 में से भरे गये तरल को कांच के गिलास में भर कर देखा गया तो उसका रंग हरा लाईट ग्रीन पाया गया। कम्पार्टमेन्ट नं. 4 व 5 में भरा गया द्रव्य गहरा नीला एवं हरा पाया गया जिसको सूंघने पर केरोसीन/डीजल की मिश्रित बदबू प्रतीत हो रही थी। प्रथम दृष्टया अवलोकन करने पर उपरोक्त तरल द्रव्य डीजल व केरोसीन का अपमिश्रण होने पर टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7014 को कब्जे सरकार लेकर पुलिस थाना आबूरोड सदर को सुपूर्द कर दिया एवं नमूना डीजल एफ.एस.एल हेतु राज्य फोरेन्सिक लेबोरेट्री राजस्थान जयपुर को प्रेषित की गई। एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश होने पर अन्तरिम निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष मे जमा हो चुकी है, उसे समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से लायक अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार ने दौराने बहस अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त डीजल को अप्रार्थी के मालिकी का होने से उन्हें सुपूर्द किया जावे इस सम्बन्ध में इनके द्वारा जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा जारी लाइसेंस संख्या 78/2009 एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बिल नं. 9906056187 दिनांक 17.11.2015 की ओर दिलाते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त डीजल बिल में अंकित अप्रार्थीगण के फर्म के मालिकी का है अतः उसे जब्त सरकार किया जाना प्राकृतिक न्[illegible] कब्जे सरकार लिये गये समस्त डीजल को उन्हें सुपूर्द किया जावे।

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन [illegible] एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष [illegible] अधिकारी, सिरोही को दूरभाष पर सूचना मिलने [illegible] पेट्रोल पम्प पर पहुंचने पर दो टैंकर खड़े मिले जिनमें केरोसीन होने का अंदेशा होने पर प्रार्थी जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा टैंकरों को चैक किया गया तो मौके पर पेट्रोल पम्प बी.पी. मावल जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:50:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

कम्पनी ऑपरेटेड पम्प है, पर पुलिस विभाग के कर्मचारी एवं बी.पी.सी.एल. के सेल्स ऑफिसर अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित मिले एवं दो टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7014 तथा आर.जे. 27 जी.बी. 7012 है जिसमें से टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7012 के कम्पार्टमेन्टको चैक करने पर पांचों कम्पार्टमेन्ट खाली पाये गये एवं टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7014 में कुल पांच कम्पार्टमेन्ट थे कम्पार्टमेन्ट के ढक्कन के उपर से पहले ही खुले हुए थे जिन्हें उपस्थित गवाहों के सामने खोला गया एवं नापा गया। पांचो कम्पार्टमेन्ट पूरी तरह भरे हुए थे। पांचों कम्पार्टमेन्ट क्रमशः (1) 5 के.एल. (2) 5 के.एल. (3) 4 के.एल. (4) 5 के.एल. (5) 5 के.एल. कुल 24 के.एल. (24000) के थे। जिसमें पांचों कम्पार्टमेन्ट में से कम्पार्टमेन्ट नं. 1,2,3 में से भरे गये तरल को कांच के गिलास में भर कर देखा गया तो उसका रंग हरा लाईट ग्रीन पाया गया। कम्पार्टमेन्ट नं. 4 व 5 में भरा गया द्रव्य गहरा नीला एवं हरा पाया गया जिसको सूंघने पर केरोसीन/डीजल की मिश्रित बदबू प्रतीत हो रही थी। प्रथम दृष्टया अवलोकन करने पर उपरोक्त तरल द्रव्य डीजल व केरोसीन का अपमिश्रण होने पर टैंकर नं. आर.जे. 27 जी.बी. 7014 को कब्जे सरकार लेकर पुलिस थाना आबूरोड सदर को सुपूर्द कर दिया एवं नमूना डीजल एफ.एस.एल हेतु राज्य फोरेन्सिक लेबोरेट्री राजस्थान जयपुर को प्रेषित की गई। फॉरेन्सिक लेबोरेट्री द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट निम्न प्रकार है–

Result of Examination

On physicochemical analysis:-

The liquid sample contained in the container marked A was found to conform the I.S. specifications prescribed for diesel fuel in respect of distillation characteristics, kinematic viscosity, relative density and flash point. The relative density at 15°C of the sample was found to be 0.8246.

The liquid sample contained in the container marked D does not conform the I.S. kinematic viscosity and relative density, however the sample was found to be mixture of fractions of kerosene and diesel fuel. The relative density at 15°C of this sample was found to be 0.8146. Presense of blue coloured dye similar to the dye used in control blue dyed kerosene was detected in this sample.

इस प्रकार एफ.एस.एल. रिपोर्ट नं. FSL/Chem.A&E Div./269/15 दिनांक 04.05.2016 में दर्ज तथ्यों के आधार पर डीजल में केरोसीन की मिलावट करना पाया जाता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये 9000 लीटर मिलावटी डीजल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

चूंकि अन्तरिम निस्तारण द्वारा 15000 लीटर डीजल जो बिना मिलावटी था एवं टैंकर का निस्तारण पूर्व में ही हो चुका है। मिलावटी डीजल 9000 लीटर का निस्तारण करने के आदेश होने पर जिला रसद अधिकारी, सिरोही द्वारा मिलावटी डीजल का विक्रय कर प्राप्त राशि रूपये 4,48,425/– जरिये चालान संख्या 19243525 दिनांक 18.10.2017 द्वारा राजकोष मे अमानत मद मे जमा कराया गया है जिसे उचित लेखामद में जमा करवाने की कार्यवाही जिला रसद अधिकारी, सिरोही अपने स्तर पर करे ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:50:36 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner